Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to release pending funds of states under MGNREGS.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत केन्द्र सरकार नौकरी ढूंढ़ने वाले व्यक्ति को 100 दिनों की नौकरी गारंटी करती है । केन्द्र प्रयोजित इस योजना के नाते धन जारी न करने के कारण राज्य सरकारे गरीबों और मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं कर पा रही हैं । वर्ष 2020 में मनरेगा में करीब 15 राज्यों का केन्द्र सरकार ने पैसों का पूरा भुगतान नहीं किया है बल्कि बकाया कर रखा है । उदाहरण के लिए आप उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए । उत्तर प्रदेश का 323 करोड़ रुपया बकाया है और इसका सीधा प्रभाव मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर में पड़ रहा है, जहां मनरेगा कर्मियों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है । इसके कारण वे अपना जीवन-यापन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि जो पशु शेड्स बन रहे हैं, उसके अन्दर मनरेगा का पैसा लगाया जा रहा है, जिसके कारण जो पैसा गांवों के विकास के लिए जाना चाहिए था, वह नहीं जा रहा है और इससे विकास नहीं हो पा रहा है । मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि ये जो 323 करोड़ रुपये बकाया हैं और खास तौर से जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में जो खेती का सीजन भी नहीं होता है और लोग इस समय मनरेगा की मजदूरी पर निर्भर भी रहते हैं, उन्हें यह पैसा दें ताकि वे लोग अपनी मजदूरी का भुगतान पा सकें । इसकी उचित व्यवस्था करवाई जाए । मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें 15 राज्यों का पैसा बकाया है ।

माननीय अध्यक्ष :

श्री कुलदीप राय शर्मा,

प्रो. अच्युतानंद सामंत व

श्री गिरीश चन्द्र को श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।